

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ-४/क्रमोन्नति/रामावि/21306/2020-21

दिनांक : ०३ ०९
२०

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
झूंगरपुर / जोधपुर / सीकर।

विषय ०४ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक— प. 11(1) शिक्षा—१/2019, जयपुर, दिनांक 07.09.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 280.0 की अनुपालना में निम्नांकित ०४ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	यू-डाइस कोड	विद्यालय का नाम
१	झूंगरपुर	मालमठा	बिछीवाड़ा	08270109401	राउप्रावि कालापाना
२	जोधपुर	सावरा गांव	बाप	08150108001	राउप्रावि रवरा
३	सीकर	रुपगढ़	दांतारामगढ़	08130409804	राउप्रावि ठेहट
४	जोधपुर	बावड़ी खुर्द	फलौदी	08150247401	राउप्रावि बावड़ी खुर्द

वित्त विभाग(व्यय-१) की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में अंग्राहित शर्ताधीन उक्त स्वीकृति जारी की जाती है:-

शर्त:-

- क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किये जा सकेंगे।
- स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा ०९ व १० एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित ०४ प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
- राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-गा को क्रमोन्नत रामावि में शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-१ व लेवल-२ के ऐसे अध्यापक जिनका ६डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है। उनका समायोजन क्रमोन्नत रामावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-१ व लेवल-२ के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में ३ ही में की जावेगी एवं ये अध्यापक ६ डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भासि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जायेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाइस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।


(सौरम स्वामी)
अवृ. ८ रम
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
9. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर/उदयपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, हुंगरपुर/जोधपुर/सीकर।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, बिछीवाडा(हुंगरपुर)/बाप,फलौदी(जोधपुर)/दांतारामगढ़(सीकर)।
12. अनुभाग अधिकारी संरथापन-एवी/संरथापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 11(1)शिक्षा-1/2019

जयपुर, दिनांक : ०७.०९.२०२०

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- 04 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 280.0 की अनुपालना में 04 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्ताधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	ज़िला	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	झूंगरपुर	मालमठा	बिछिवाड़ा	राजप्रावि कालापाना
2.	जोधपुर	सावरा गांव	बाप	राजप्रावि रवरा
3.	सीकर	रुपगढ़	दांतासामगढ़	राजप्रावि ठेठ
4.	जोधपुर	बावड़ी खुदू	फलौदी	राजप्रावि बावड़ी खुदू

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्तें :-

- 1 विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2020-21 से प्रारम्भ होंगे।
- 2 स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
- 3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपंतों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावें।
- 4 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-गा को क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- 5 क्रमोन्नत होने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- 6 शेष शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6डी की कार्यवाही एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक

क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भाँति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से किया जायेगा।

- 7 पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीक्षी भर्ती / पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- 8 नवक्रमोन्नत विद्यालय का नाम, स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला के नाम की जांच कर ही आदेश जारी करावें।
- 9 उक्त सृजित पदों एवं समाप्त किये जाने वाले पदों के मदवार प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भिजवाने की सुनिश्चितता करावें।

भवदीय,

७३/२०
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
7. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
9. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
11. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. उपनिदेशक, योजना, माध्यांसक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
13. उपनिदेशक (साखियकी), शिक्षा (गुप-1) विभाग।
14. शिक्षा (गुप-2, 5, 6) विभाग।
15. नोडल अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालयों को अपलोड करावाने की सुनिश्चितता करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

५४/०३-७-२०२०

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा